कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा, (म0प्र0)

क्रमांक क्यू/2020 रीवा, दिनांक 06/04/2020

प्रति,

समस्त न्यायाधीगण,
रीवा/मउगंज/त्योंथर/सिरमौर/हनुमना/मनगवां,
जिला रीवा म.प्र.

विषयः—इन्फोरमेशन टैक्नोलॉजी अधिकाधिक उपयोग बावत् दिशा निर्देश।
सन्दर्भः—माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर का ज्ञापन क्रमांक 2020/क्यू जबलपुर दिनांक 04.04.2020।

——00——

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र के आलोक में निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र क्रमांक क्यू—5 दिनांक 25.03.2020 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के Suo Motu Writ Petition (Civil) No.1/2020 के पारित आदेश दिनांक 23.03.2020 के पालन माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेश दिनांक 04.04.2020 के अनुसार अति—आवश्यक प्रकरणों में सुनवाई हेतु वीडियों कांफ्रेसिंग सुविधा अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित किया जाना है। इस हेतु रीवा न्यायालय में कार्यालय परिपत्र दिनांक 26.03.2020 में न्यायालय कक्ष क्रमांक—4, 9 एवं 38 को वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से कार्यवाही हेतु चिन्हित किया गया है तथा तहसील में पदस्थ न्यायिक अधिकारीगण न्यायालय परिसर में उपयुक्त स्थान चिन्हित कर वीडियों कांफ्रेसिंग सुविधा के माध्यम से कार्य सम्पादन करावें। इसके अतिरिक्त समस्त न्यायाधीशगण को सुविधा अनुसार उनके आवास में वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से Vidyo एप्लीकेशन द्वारा उक्त कार्य के सम्पादन करने के निर्देश है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय की सन्दर्भित पत्र की छायाप्रति समस्त न्यायाधीशगण की ओर इन्फोरमेशन टैक्नोलॉजी अधिकाधिक उपयोग बावत पालनार्थ प्रेषित है।

<u>संलग्नः—</u> उपरोक्तानुसार।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रीवा म0प्र0

क्रमांक क्यू/2020 रीवा, दिनांक 06/04/2020

<u>प्रतिलिपिः—</u>

1— सिस्टम आफीसर/सिस्टम असिस्टेंट/समस्त आई.टी. असिस्टेंट/एस.ए. की ओर वीडियों कांफ्रेसिंग को सुचारू रूप से सम्पादित कराये जाने बावत्

2— प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, मउगंज/त्योंथर/सिरमौर/हनुमना की ओर कोविड—19 के बचाव के सम्बन्ध में भारत सरकार के दिशा निर्देशों को न्यायालय नोटिस बोर्ड एवं अन्य स्थानों में चस्पा कराये जाने बावत्।

जिला एवं ...

Scanned by CamScanner